न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार; आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./28/2022/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. तुलसीदेवी पत्नी स्व. मगाराम, उम्र 60 वर्ष 2. भैराराम पुत्र मगाराम, उम्र 35 वर्ष 3. भंवराराम पुत्र रतनाराम, उम्र 35 वर्ष, जाति जाट निवासी रातडिया, पटवार हल्का रातडिया, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।		1. माया देवी पत्नी हनुमानराम, उम्र 45 वर्ष 2. चूनी पुत्री मगाराम उम्र 40 वर्ष 3. चन्दू पुत्री मगाराम, उम्र 30 वर्ष 4. पेपाराम पुत्र खेताराम, उम्र 36 वर्ष 5. गोमी पत्नी खेतारांम, उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी रातडिया, पटवार हल्का रातडिया, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर। 6. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. इण्डिया शाखा फलसूण्ड। 7. राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, भणियाणा, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 53/2021 बउनवान मायादेवी बनाम तुलसीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पो. संख्या 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—28.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 की खातेदारी आराजी जो कि सरहद ग्राम रातड़िया, तह. भणियाणा के खसरा संख्या 878/145 रकबा 0.04856 हेक्टेयर आयी हुई है एवं उक्त गांव के खसरा संख्या 146 में मेरे सास ससुर के साथ निवास कर रही हूँ। इस वजह से मैने आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विप्रार्थीगण/अपीलांट्स व रेस्पों. संख्या 02 से 05 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 150 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 की खातेदारी आराजी जो कि सरहद ग्राम रातड़िया, तह. भणियाणा के खसरा 878/145 रकबा 0.04856 हेक्टेयर आयी हुई है एवं उक्त गांव के खसरा संख्या 146 में मेरे सास ससुर के साथ निवास कर रही हूँ। इस वजह से मैने आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स व रेस्पों. संख्या 02 से 05 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 150 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि वास्तविकता में प्रार्थी/रेस्पों के खेत खसरा संख्या 878/145 और खसरा संख्या 146, 148/1, 148 में सड़क तक आने जाने लिये और गांव रातड़िया जाने के लिये खसरा संख्या 157 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जो मौका रिपोर्ट दिनांक 02.05.2022 में दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में चाहे गये रास्ते की भूमि को छोड़कर अन्य जगह से अपीलाधीन रास्ता पारित किया गया है। जो विधि अनुसार सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.09.2021 व 15.10.2021 तक में कोई मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। बिना अपीलांट को सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि विधि अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये थी। किन्तु उक्त तथ्यों के विपरीत प्रश्नगत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्तानुसार बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। न्यायालय की न्यायिक मंशा न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। जो विधि के सिद्धान्तों की घोर अवहेलना प्रदर्शित करता है। अपीलाधीन आदेश से खेत में जो रास्ता घोषित किया गया है उसके कारण अपीलाकर्ता के खेत छोटे–छोटे भागों में विभक्त हो जायेगा जिससे खेत काश्त योग्य नहीं रहेगा। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. राजस्व (ग्रुप –6) विभाग आदेश दिनांक 13.10.2020

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाया जाकर हस्तगत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्तानुसार रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– RRT 2019(2)1098

पत्रावली एवं वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मय दस्तावेजात का ससम्मान ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य विकल्प/रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए दुबारा संशोधित मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा तलब कर न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा RAA बाड़मेर का जो निर्णय प्रस्तुत किया गया है वो इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। प्रत्येक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियां भिन्न होते है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 53/2021 बउनवान मायादेवी बनाम तुलसीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अंभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

28/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर